

## शिक्षा विभाग

### मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन के संबंध में

राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र दिये जाने हेतु पोर्टल:- [medhasoft.bih.nic.in/mkuysnatak2021](http://medhasoft.bih.nic.in/mkuysnatak2021) पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन की तिथि 28.08.2023 से 30.09.2023 तक निर्धारित की जाती है। इस योजना का लाभ उन्ही छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्त पूर्ण करती है :-

- (1). बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो।
- (2). राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/संस्थानों को स्नातक/स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता तिथि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के बीच है।
- (3). लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में होना चाहिये।
- (4). पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वो बैंक से तुरंत सम्पर्क करें। आधार सिडींग और खाता से आधार लिंक अलग-अलग चीजे है। जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (5). यदि पात्र लाभुक दिनांक 30.09.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते है तो यह समक्षा जायेगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 30.09.2023 के पश्चात् उन्हे अलग से मौका नहीं दिया जाएगा।
- (6). योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट [Educationbihar.gov.in](http://Educationbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मो० न० 9534547098, 8986294256 एवं ई-मेल [mkuysnatakhelp@gmail.com](mailto:mkuysnatakhelp@gmail.com) पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।